U;k;ky; HkkizcU/k vf/kdkjh ,o insu
jktLo vihy izkf/kdkjh chdkusj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy la0 24@2021

1. मो0 जूबेर पुत्र उस्मान गनी जाति तेली मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड सं0 20 चूरू तहसील व जिला चूरू हाल सांताक्रुज मुम्बई ।

vihykV

cuke

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू ।

2.मो0 आसिफ पुत्र खुशी मोहम्मद जाति पिनारा मुसलमान निवासी वार्ड सं0 26 हलाल मस्जिद के पास चूरू तहसील व जिला चूरू ।

3.मोहम्मद सैफ पुत्र खुशी मोहम्मद जाति पिनारा मुसलमान निवासी वार्ड सं0 26 हलाल मस्जिद के पास चूरू तहसील व जिला चूरू ।

jLiksM.V

mifLFkr%& 1. श्री हनुमान स्वामी़ अधिवक्ता अपीलांट ़

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh pw: ds fu.kZ; fnukad 28-02-2019 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—27.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 959 (2838/958) को कुर्क किया जाकर रिसीवरी नियुक्त किया गया जिसके जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि अपीलांट का निरंतर व निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है । अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2017 के द्वारा खातेदार रेस्पो0 खुशी मोहम्मद से खसरा सं0 958 की 12.11 बीघा कृषि भूमि में से 251/10 हिस्सा यान 1 बीघा 12/4 बिश्वा कृषि भूमि क्रय की तदनुसार राजस्व अभिलेख में नामातन्तरण दर्ज हुआ । तत्पश्चात इस कृषि भूमि में विभाजन हेतु एक दावा अनुवारी मो0 आरिफ बना फैज मोहम्मद आदि दायर हुआ जिस वाद में खसरा सं0 958 की कृषि भूमि को वाद के पक्षकारों ने राजीनामा से डिक्री करवाया तदनुरूप राजस्व अभिलेख तैयार किया गया । नये राजस्व अभिलेख के अनुरूप अपीलांट के ख0स0 958 मिन से नये ख0स0 2838/958 की तादादी 1.8387 हैक्टयर (7.26 बीघा) खातेदारी दर्ज हुई जिन तथ्यों से भी यह भली भांति प्रमाणित है कि अपीलकृत कृषि भूमि किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में नही ली जा रही थी अन्यथा न तो कृषि भूमि का विधिवत रूप से विभाजन हो सकता था न ही राजस्व अभिलेख मे नामान्तरण व अलग से लगान ही कायम हो सकता था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चूरू से कृषि भूमि की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई थी वह रिपोर्ट पटवारी हल्का चूरू की मौका तस्दीक के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी है जिस रिपोर्ट में ख0स0 2838/958 के बाबत नये खसरे को कोई अंकन नही किया है न ही इस विशिष्ट खसरे में किसी भी प्रकार से समतलीकरण अथवा प्लोटिंग की जा रही है —कि बाबत कोई कथन व अंकन ही है — मगर इसके बावजूद भी इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के अहम तथ्य को नजरअंदाज करके अपीलकृत आदेश पारित करके खसरा सं0 2838/958 की समस्त कृषि भूमि को कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है जो न्यायोचित नही है । रेस्पो0 मोहम्मद आसिफ वादगत कृषि भूमि का कुर्की आदेश पारित करने से पूर्व न तो कभी खातेदार व काश्तकार रहा है ना ही कृषि भूमि पर उसका किसी भी प्रकार से कब्जा विघमान था । रेस्पो0 ने मात्र वाद कार्यवाही में विक्रय पत्र को निरस्त करवाकर पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा उत्पन्न करना चाहा है । रेस्पो0 सं0 2 व 3 मुस्लिम विधि से शासित होते है । मुस्लिम/शरियत विधि के अनुसार

संतान का अपने पिता के जीवित रहने के दौरान By Birth share aris करने का कोई प्रावधान नही है फिर भी इस कृषि भूमि में रेस्पो0 मोहम्मद आसिफ का हक, हिस्सा एवं खातेदार की हैसियत से वाद कार्यवाही में सुनवाई किये जाने व भाग लिये जाने के लिये उपयुक्त पक्षकार मानते हुऐ हस्तगत अपीलंकृत आदेश पारित किया गया है जो आदेश मुस्लिम विधि के प्रावधानों के भी सर्वथा विपरीत है । पत्रावली में उपस्थित रिपोर्ट जो अधिनस्थ न्यायाल व भूमिधारी तहसीलदार के मध्य विविध पत्रावली से पृथक सृजित की गई है, उक्त वांछित कार्यवाही का संज्ञान अधिनस्थ न्यायालय व तहसीलदार के मध्य तक ही सीमित थी क्यों कि लम्बित वाद मं लम्बित प्रार्थना पत्र की पत्रावलिया व उसकी आदेशिका मे कही भी मौके की संबंधित रिपोर्ट बाबत कोई उल्लेख नही है । इसके बावजूद रेस्पो0 मो0 आसीफ आदि ने उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर व साक्ष्य बनाकर उसकी धारा 212(2) के प्रार्थना पत्र में उस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए पेश किया जिस तथ्य से रेस्पो0 आसिफ आदि का मंतव्य पूर्णरूप से साबित होता है कि उनके द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का से साज करके रिपोर्ट अपने पक्ष में तैयार करवाई है जो काल्पनिक है मिथ्या है । इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का न्यायिक चिंतन नही कर एकपक्षिय आदेश पारित किया जो कानून विरूद्व है जिससे अपीलांट अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से भी वंचित हो चला है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2019 को खारिज किया जावे ।

अपीलांट को कृषि भूमि पर तहसीलदार चूरू ने कुर्की का दिनांक13.03.2019 को साईन बोर्ड लगाये जाने से जानकारी हुई जिस जानकारी पर अपीलांट ने प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिन प्रतिलिपियों को पढ़ने से दिनांक 18.03.2019 को इस आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई । अपीलांट के अधिवक्ता ने इस आदेश को अपास्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । इसी दौरान कोविड वैश्विक महामारी आ चली जिससे न्यायिक कार्य बाधित रहा । जुलाई 2021 से न्यायिक कार्यवाहिया प्रारम्भ हुई । अपीलांट ने अधिवक्ता से विधिक जानकारी ली तो अपीलांट को जानकारी हुई कि हस्तगत आदेश दिनांक 28.02.2019 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील संस्थित कर ही चूनोति दी जा सकती है । अपीलांट द्वारा किसी देरी के श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है । श्रीमान न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिक परिसीमा में मानते हुऐ ग्राहय किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0958 रोही मौजा चूरू के वर्तमान ख0न0 2838/958 बाबत एक घोषणात्मक दावा सं0 491/18 व स्थगन प्रार्थना पत्र सं0 39/18 अनुवानी मोहम्मद

आसिफ आदि बनाम मोहम्मद जूबेर आदि अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन है । उक्त स्थगत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2018 को स्थगन आदेश पारित करते हुऐ अपीलांट को उक्त वादगत कृषि भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है जो स्थगन आज भी कायम है । उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट जानबूझकर न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना कर रेस्पो0 को नुकशान पहुंचाने एवं उनके हिस्से से वंचित करने के उददेश्य से भूमि का समतलीकरण कर प्लोटिंग कर रहे है तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य हेतु परिवर्तित कर खुर्द बुर्द करना चाहते है । तहसीलदार चूरू के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद ऐसा करने से बाज नही आ रहे है तथा लगातार प्लोटिंग की जा रही है । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अधरझूल में है इस कारण उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त कृषि भूमि के स्वरूप को बचाया जा सके तथा रेस्पो के हितो को सुरक्षित रखा जा सके । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि ख0न0 2838/958 तादादी 1.8387 हैक्टयर रोही कस्बा चूरू को कुर्क किया जाकर तहसीलदार चूरू को रिसीवर नियुक्त किया गया है जो न्यायोचित प्रतित होता है अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2019 को यथावत रखा जावे ।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कारणो व प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बहस पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2019 के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि में केवल मात्र समतलीकरण होने का या करने का अंकन है इसके अलावा कहीं भी यह अंकन नही है चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में अपने आदेश में कृषि कार्य नही करने संबधी स्पष्टय कहीं भी निर्देश नही दिया है, मात्र मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया । विवादित भूमि पर अगर उसकी सीमाएं, मेड़ अथवा आकार में परिवर्तन किया होता तो मौका परिवर्तन की श्रेणी में आता । कृषि कार्य हेतु किसी उपकरण द्वारा कृषि संबंधी गतिविधि किया जाना मौका स्थिति में परिवर्ततन नही कहा जा सकता । पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2019 में मात्र समतलीकरण किया जाना अंकित किया है । गुगल मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि के आकार में कोई परिवर्तन नही किया गया है । अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में केवल कृषि प्रयोजनार्थ ही समतलीकरण का कार्य किया गया है । वादगत कृषि भूमि पर पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी

पारित किया हुआ है उसके उपरांत यदि अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश की गयी भूमि पर मौका या रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तत किया जाता है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना (कोर्ट आफ कन्टेम्प) की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी न की कठोरतम कदम उठाते हुऐ खातेदार काश्तकार की भूमि ख0न0 2838/958 तादादी 1.8387 हेक्टयर को कुर्की किया जाना न्याय संगत प्रतित नही होता है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2019 को खारिज किया जाता है तथा ख0न0 2838/958 तादादी 1.8387 हेक्टयर भूमि को कुर्की से मुक्त किया जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
7. निर्णय आज दिंनाक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkwiz cU/k vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj